[Shri Jawaharlal Nehru]

that as we are discussing this matter fully, not his resignation but the whole matter and the Resolutions before the House, and the facts are fairly well-known, it is not really necessary unless the House so desires for him to make a statement here. That is the position.

Some Hon. Members: It is not necessary.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, जरा इसको हिन्दी में भी समझा दें ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बस इतनी सी बात है कि श्री कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था और प्रेसीडेंट साहब ने उसे मंजूर कर लिया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : बहुत धन्यवाद ।

12.04 hrs.

RE: MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

Mr. Speaker: I have to inform the House........

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है ।

Mr. Speaker: Order, order. There is nothing before the House and therefore there cannot be any point of order.

श्री बागड़ी : मेरी थोड़ी सी अर्ज है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी अर्ज सुन लीजिये; फिर में आपकी सुन लूंगा ।

I have to inform the House that I have received notice of the following motion of no-confidence in the Council of Ministers under Rule 198 from Sarvashri Ram Sewak Yadav and Mani Ram Bagri:

> 'This House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.'

The reason given is:—

> Inactive and unprincipled foreign and defence policy of the Government of India.

May I request those Members who are in favour of leave being granted to rise in their places?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन तो सुन लें। में आप से व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य का ही मोशन है और वे ही इस पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाते हैं ?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव मैंने दिया है, उसके सम्बन्ध में एक नियम यह है कि आप माननीय सदस्यों से कहेंगे कि वे अपने स्थानों पर खड़ हो जायें । लेकिन जब तक कि उस प्रस्ताव की बातों को यहां पर माननीय सदस्य जानेंगे नहीं, जब तक उनको मालूम नहीं होगा कि मैंने क्या प्रस्ताव दिया है तब तक वे कैसे अपना मत बनायेंगे खड़े होने के लिये ? मैंने एक प्रस्ताव पहले दिया था, उसमें सारे कारण दिये थे लेकिन यह कह कर कि वह एक तरह का भाषण है, आपने उसको नहीं माना । तब मैंने इसको दिया । तो या तो उसके पूरे कारण यहां पढ़े जाते या फिर जो पचास आदमियों के खड़े होने की व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मुझे दो चार मिनट अपनी बात कहने का मौका दिया जाय और उसके बाद प्रस्ताव को यहां रक्खा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में रूल साफ हैं और उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । बल्कि पिछली दफा जो रीजन्स दिये गये थे उनको भी स्पीकर साहब ने नहीं पढ़ा था, जब श्री ब्रजराजसिंह ने एक ऐसा ही मोशन दिया था । सिर्फ इतना ही कहा गया था :

"This House expresses its vote of no confidence."

सिर्फ इतना ही पढ़ा गया था । लेकिन मैंने जो ग्रापके रीजन्स लिख हुऐ थे उनको भी पढ़ दिया है कि किन वजूहात की बिना पर ग्राप यह मोशन फार नो कांफिडेंस देना चाहते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : जरा हमको यह हिन्दी में भी सुना दिया जाय, ग्रभी सिर्फ इंग्लिश में ही सुनाया गया है।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने स्वामी जी से बहुत दफा कहा है कि हर एक बात पर बार बार यह कहा जाना ठीक नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह बहुत महत्व-जपूर्ण विषय है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : यह बात उचित नहीं कि हर एक बात पर यह कहा जाय ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा एक निवेदन है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रापने जो नोकांफि-डेंस मोशन दिया है, उसके बारे में रूल्स बहुत माफ हैं । इस पर कोई तकरीर पहले नहीं हो सकती जब तक कि यह हाउस इजाजत न दे कि ग्राप उसको मूव कर सकते हैं । पहले जो इजाजत लेनी है वह इसीलिये लेनी है कि ग्राया ग्राप को ग्राज्ञा दी जाय या नहीं कि ग्राप इस को मूव कर सकते हैं । ग्रगर ग्राप को मूव करने की ग्राज्ञा दे दी गई, तब ग्रापको पूरा ग्रख्त्यार होगा ग्रपनी बात कहने का । तब मैं ग्राप से कहूंगा कि जो वक्त मुकर्रर किया जायेगा उस वक्त ग्राप उसको मूव करेंगे ग्रौर सब माननीय सदस्य ग्रपना भाषण देंगे, ग्रपने कारण बतलायेंगे कि किस बिना पर यह मोशन दिया जा रहा है । लेकिन जो ग्राज्ञा पहले लेनी होती है उस पर कोई भाषण नहीं होता । मेरे लिये यह जरूरी है कि इस फायदे के मुताबिक मैं इस को सदन के सामने रक्खूं, ग्रौर मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग इस मोशन के हक में हों वे कृपा करके ग्रपनी ग्रपनी जगहों पर खड़े हो जायें । मैं देखता हूं कि केवल सात माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिये मेरा विचार है कि सदन इस मोशन को रखने की ग्राज्ञा नहीं देता ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह सदन कुछ सुनना ही नहीं चाहता, इसलिये यह स्थिति बन रही है ।

कुछ माननीय सदस्य : ग्राप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप इन लोगों को रोकिय।

ग्रध्यक्ष महोदय : जब स्वामी जी खड़े हैं, तब मैं उनको कैसे रोकूं ?

श्री रामेश्वरानन्द नन्द : यह लोग कौन होते हैं बोलने वाले, ग्राप हम से कह सकते हैं बैठ जाने के लिये ।

श्री बागड़ी : मेरा प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बागड़ी से बहुत दफे कहा है कि प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर उस चीज के सम्बन्ध में हो सकता है जो कि हाउस के सामने हो । एक चीज खत्म हुई, दूसरी ग्रभी ली नहीं गई तब ग्राप उसके बारे में प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर कैसे रेज कर सकते हैं ? जब कोई चीज इस वक्त हाउस के सामने नहीं है, तो मैं ग्रापका प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर क्या सुनूं ?

श्री बागड़ी : मैं बहुत विनयपूर्वक ग्राप से निवेदन करूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूं वह ग्रापके दफ्तर के बारे में है, ग्रौर वह भी मेरे कालिंग ग्रटेंशन नोटिस के बारे में है । मैं ग्राप से बार बार निवेदन कर चुका हूं कि मुझे तहरीरी जवाब मिलना चाहिये कि वह मंजूर है या नहीं । ठीक दस बजे मैंने काल एटेंशन नोटिस दे दिया था ग्रापके दफ्तर के ग्रन्दर, बम

[श्री बागड़ी]

विस्फोट के बारे में। लेकिन एक आदमी आता है और मुझ से कहता है कि आप क्वेश्चन दे दीजिए, काल एटेंशन मोशन नामंजूर हो गया। मैंने बार बार यह शिकायत की है कि जब मैं ठीक दस बजे अपना नोटिस दे देता हूं तो क्यों नहीं मुझ को तहरीरी जवाब दिया जाता। जब मैं बार बार इस बात को आपके सामने रखता हूं तो आप ऐतराज करते हैं। अब इसका क्या इलाज हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना मेरे लिये बहुत मुश्किल होगा और ऐसा करने के लिये मुझे और स्टाफ लेना होगा जो इस वक्त उचित नहीं है। मैं हर मेम्बर के नोटिस का जवाब इस लिये तहरीरी नहीं दे सकता। मैं मेम्बर साहिबान से कहूंगा कि कम से कम इस वक्त वे मेरे जवानी पैगाम पर ही ऐतबार कर लिया करें और उसे काफी समझें। हर मेम्बर को अगर तहरीरी जवाब दिया जाए तो उसके लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी और उसको आज भरती करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि हाउस इस मामले में मुझे सहायता दे।

श्री बागड़ी : उस आदमी ने मुझे इत्तला दी कि आप क्वेश्चन रख दीजिए। मैंने उससे पूछा कि शार्ट नोटिस या दूसरे किस्म का तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं। अब क्या किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर के सामने जो नोटिस आवेगा वह उसका फैसला करेगा स्पीकर का दफ्तर इसके लिये नहीं है कि वह बतलाए कि शार्ट नोटिस सवाल दें क्या दूसरा। जब आप दें गे तो फैसला होगा कि आया वह कानून के मुताबिक है या नहीं।

12.12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENTMENTS TO INDIAN TELEGRAPH RULES

The Minister of Transport and Communications (Shri Jagjivan Ram): I beg to lay on the Table a copy each of the following rules under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885:—

(i) The Indian Telegraph (Ninth Amendment) Rules, 1962, published in Notification No. S.O. 2708 dated the 1st September, 1962.

(ii) The Indian Telegraph (Tenth Amendment) Rules, 1962 published in Notification No. S.O. 2851 dated the 15th September, 1962. [Placed in Library, *see* No. LT-475/62.]

AMENDMENTS TO DELHI MOTOR VEHICLES RULES

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. F. 12|69|55-62|Transport published in Delhi Gazette dated the 26th July, 1962 making certain further amendments to the Delhi Motor Vehicles Rules, 1940, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [Placed in Library, *see* No. LT-472/62.]

ANNUAL REPORT OF ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES FOR 1961-62

ANNUAL ACCOUNTS OF ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES FOR 1960-61 AND AUDIT REPORT THEREON

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Annual Report of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1961-62, under section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[Placed in Library, *see* No. LT-473/62.]

(ii) Annual Accounts of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1960-61 along with the Audit Report thereon, under